वार्षिक लेखा

2013- 14

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कोर IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र,लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट : http://ncrpb.nic.in

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार वार्षिक लेखों की सूची

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	1-4
2	तुलन पत्र	5-6
3	आय तथा व्यय लेखा (योजना)	7
4	आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना)	8-9
5	प्राप्ति तथा भुगतान लेखा	10-13
6	अनुसूची 1-20	14-25
7	31मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के एक भाग के रुप में और संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों पर टिप्पणियां (अनुसुची 21)	26-29
8	दिनांक 31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा आकस्मिक देनदारियों की स्थिति:- (अनुसुची 22)	30-34

संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1

सेवा में,

दिनाँक/Dated

MS/NCRPB
Dy. No. 1266/D
24.11.14

सचिव, भारत सरकार,
शहरी विकास मंत्रालय,
निमार्ण भवन,
नई दिल्ली -110001

विषयः- वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियॉ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीय,

अनुलग्नकः यथोपरि

हस्ता०
(विमलेन्द्र पटवर्धन)
प्रधान निदेशक

संख्याः DD-II/HQ/NCRPB/A/A/cs/1-17/2014-15/Vol.III/ 641 दिनॉक : 21/11/2014

प्रतिलिपीः-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV बी, भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड नई दिल्ली 110 003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
2. महा निदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली, को उनके पत्र संख्याः 777/वा.ले.प.-III/ND-I/SAR/NCRPB/71-14 दिनॉक 19.11.2014 के संदर्भ में एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है । तथ्यों एवं ऑकडों की पुनः जॉच कर ली गई है ।

अनुलग्नकः यथोपरि

(विमलेन्द्र पटवर्धन) 21/11/14
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, New Delhi-110002.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2014

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31st March 2014 and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Section 33 (i and ii) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) **Grants-in-aid**

During the year 2013-14, the NCRPB has received grants-in-aid of ₹ 6343.92 lakh (₹ 6000.00 lakh under Plan and ₹ 343.92 lakh under Non-Plan). The NCRPB has utilized the entire grant of ₹ 6343.92 lakh during the year.

(v) We report that the Balance Sheet and Income & Expenditure//Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31st March 2014; and

b) In so far as it relates to the income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

21/11/14

(Vimalendra Patwardhan)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi

Dated 21 November 2014

Annexure to Audit Report

1. **Adequacy of Internal Audit System**

Internal Audit for the year 2013-14 was conducted by a Chartered Accountant firm. No internal audit cell exists as on date.

2. **Adequacy of Internal Control System**

Internal Control System is not commensurate with the size and activity of the Board, considering the large volume of receipts and payments. Sufficient manpower and supervision is needed for effective control over financial matters and maintenance of records/subsidiary registers etc.

3. **System of Physical verification of Fixed Assets**

In absence of properly maintained fixed assets register the authenticity of physical verification carried out cannot be commented upon.

4. **System of Physical verification of Inventory**

There is no inventory.

5. **Regularity in payment of statutory dues**

As per the Financial Statements, no payments over six months, in respect of undisputed statutory dues, were outstanding as on 31 March 2014.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु0 मे)

कोष /पूँजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कोष/पूँजी निधि)	1	27694873552	**26255450527**
विशेष आरक्षित	2	5535795989	4191267995
निर्धारित/एंडोमंट कोष	3	8344130	10466280
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	9651012856	8092646121
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	6	854993562	713049024
योग		**48745020089**	**44262879947**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	7	8953437	9230653
निर्धारित/एंडोमंट निधियों से निवेश		0	0

भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	**8**	105656208	21786062
एनसीआरटीसी में इक्विटी योगदान निवेश	**9**	50000000	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**10**	48580410444	44231863232
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई अथवा समयोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		**48745020089**	**44262879947**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	**21**		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	**22**		

ह0/- ह0/- ह0/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजनागत)

(राशि रु0 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में अंतरित	तुलन पत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदान		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/एंडोमंट निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		7475	14625
अर्जित व्याज	11	3754683588	3344949298
अन्य आय	12	10598903	17805019
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		0	0
योग (क)		**3765289966**	**3362768942**
व्यय			
स्थापना व्यय	13	35932447	38921855
अन्य प्रशासनिक व्यय	14	144096807	38973922
अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान पर व्यय (प्रावधान)		140000000	35000000
बाजार उधारी पर व्यय	15	1356992075	1026604276
अनुसूची 7 के अनुरूप मूल्य ह्रास		1698215	1414983
योग (ख)		**1538719544**	**1105915036**
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष(क-ख)		**2226570422**	**2256853906**
पूर्व अवधि व्यय	16	1514217	0
बांड रिडम्सन रिजर्व में अंतरण (बीआरआर)		1344527994	1079590695
आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत) में अंतरण		41105186	11502423
उप योग		**1387147397**	**1091093118**
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरण		**839423025**	**1165760788**
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर - योजनागत)

(राशि रु0 में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		34392000	29963000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस/सेवानिवत्रति लाभ के निवेश से आय	**17**	6671405	1953079
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित व्याज		0	0
अन्य आय	**18**	23592	46915
आय और व्यय लेखा (योजनागत) से अंतरित		41105186	11502423
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी		0	0
योग (क)		**82192183**	**43465417**
<u>व्यय</u>			
स्थापना व्यय	**19**	73903139	34697034
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	**20**	8289044	8768383

अनुदान/इमदादों आदि पर व्यय		0	0
योग (ख)		82192183	43465417
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता का बोर्ड निधि में अंतरण		शून्य	शून्य
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह0/- ह0/- ह0/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त) सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
i आरंभिक शेष						
क. हाथ मे रोकड	9450	9450	0	30846	30846	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	1501722493	1501722493	0	4374411055	4374411055	0
ग. भविष्य निधि बचत खाते में शेष	4320025	4320025	0	3394573	0	3394573
घ. नई पेंशन योजना बचत खाते में शेष	708	708	0	680	0	680
उप योग	**1506052676**	1506052676	0	**4377837154**	**4374441901**	**3395253**
ii प्राप्त अनुदान						
क . शहरी विका मंत्रालय, भारत सरकार से	634392000	600000000	34392000	579963000	550000000	29963000
ख. शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस के अध्ययन के लिए	15170000	15170000	0	26421948	26421948	0
iii निवेश पर आय (भविष्य निधि / एनपीएस)						
क. बचत बैंक ब्याज	204725	0	204725	160491	0	160491
ख. भविष्य निधि जमा पर ब्याज	1766110	0	1766110	1155649	0	1155649
iv प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	2183014624	2183014624	0	2338451618	2338451618	0
ख. बचत बैंक	34097505	34097505	0	67743623	67743623	0
ग. बैंक जमाओं पर	1209623065	1209623065	0	775080484	775080484	0
v अन्य आय						
क. रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	7475	7475	0	14625	14625	0
ख. पहचानपत्रों के गुम होने पर	0	0	0	100	0	100
ग. आरटीआई शुल्क	7731	0	7731	16624	0	16624
घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान	45438	45438	0	31500	31500	0
ङ. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	4200	0	4200	7025	1400	5625
च. आयकर वापसी	31368247	31368247	0	10904711	10904711	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	3080323	3080323	0	763329	763329	0

ज. स्टाफ को दिए गए ऋण पर ब्याज	395817	0	395817	18807	0	18807
झ.संपति की बिक्री पर लाभ	19625	19625	0	0	0	0
ण. पुराने समाचार की बिक्री	3261	0	3261	0	0	0
v i उधार ली गई धनराशि						
क. ए.डी.बी से ऋण	1227873592	1227873592	0	996415915	996415915	0
ख. के.एफ.डब्लू जर्मन बैंक से ऋण	0	0	0	1084497969	1084497969	0
v ii अन्य प्राप्तियां						
क. राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	5677485597	5677485597	0	5678942591	5678942591	0
ख. भुनाई गई सावधि जमा	39831267995	39831267995	0	32670000000	32670000000	0`
ग. भविष्य निधि/एनपीएस निवेशों की परिपक्वता	12000000		12000000	10800000	0	10800000
घ. बयाना राशि/जमानत राशि	209027		209027	8000	0	8000
ड.केएसडब्लू द्वारा प्रबंधन शुल्क की वापसी	0	0	0	16925770	16925770	0
च. स्टाफ को अग्रिम की वसूली	570083	0	570083	1256336	0	1256336
छ. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	360140	0	360140	262920	0	262920
ज. एलआईसी से प्राप्त /वसूल की गई जीआईएस धनराशि	52862	0	52862	18234	0	18234
झ. जीपीएफ निकासी /वापसी	3633900	0	3633900	2279660	0	2279660
ण.एनपीएस वसूली	330088	0	330088	167661	0	167661
ट. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर्ज की कटौती	4414848	2369258	2045590	5627120	4408670	1218450
ठ. सेमिनार और प्रशिक्षण अग्रिम की वापसी	92013	0	92013	83500	0	83500
ड. स्टाफ कार के प्रयोग की वसूली	7700	0	7700	5600	0	5600
ढ. एनसीआरटीसी लोगो की प्रोसेसिंग फीस	7000	7000	0	0	0	0
कुल	**52377557667**	**52321482420**	**56075247**	**48645861964**	**48595046054**	**50815910**

ह0/- ह0/- ह0/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ — निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त) — सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रु0 में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना
i व्यय						
क. स्थापना व्यय (अनुसूची 13और 19 के अनुरुप)	80498423	44796226	35702197	68287224	40425469	27861755
ख. प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14और 20 के अनुरुप)	11714541	3883428	7831113	13684859	4785551	8899308
ग. बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरुप)	1049509714	1049509714	0	991677980	991677980	0
ii राज्य सरकारों/एजेंसियो को प्रदत्त ऋण	3554410000	3554410000	0	4185071000	4185071000	0
iii किए गए निवेश और जमा						
क . एनसीआरटीसी में इक्विटी योगदान	50000000	50000000	0	0	0	0
ख. एफडीआर में निवेशित राशि	40024400000	40024400000	0	40670000000	40670000000	0
ग. भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत लाभ	91572096	91572096	0	12000000	12000000	0
घ. अन्य - बीआरआर	5535795989	5535795989	0	1079590695	1079590695	0
iv अचल परिसंपत्तियों परव्यय						
क. अचल परिसंपत्तियों की खरीद	1466437	1466437	0	195581	0	195581
v राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणो की वापसी	0	0	0	0	0	0
v i ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
क. स्टाफ को विविध अग्रिम	432093		432093	277679	0	277679
ख. जीपीएफ से अग्रिम/आहरण	2304356		2304356	2575850	0	2575850
ग. यात्रा अग्रिम	120100		120100	484704	0	484704
घ. बैंकों से अल्प अवधि ऋण	0		0	0	0	0
ड. एलटीसी अग्रिम	202984		202984	511086	0	511086
च. पेट्राल अग्रिम	10500		10500	15500	0	15500
छ स्टाफ को अग्रिम	80250	80250	0	56250	56250	0
v ii अन्य भुगतान						
क. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड के बांडों का विमोचन	0	0	0	0	0	0
ख. बयाना राशि	161500	161500	0	10000	10000	0
ग. उधारकर्त्ता एजेंसियों/बैंको द्वाराटीडीएस की कटौती	104225537	104225537	0	70316073	70316073	0
घ. सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	56801	0	56801	24850	0	24850

ड. रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	4786422	4786422	0	8286355	0	8286355
च. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	392880	0	392880	352640	0	352640
छ. नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	326322	0	326322	225990	0	225990
ज. आरआरटीएस के लिए भुगतान	6825870	6825870	0	36081472	36081472	0
झ. प्रशिक्षण तथा सेमिनार अग्रिम	207713	207713	0	83500	83500	0
V iii इति शेष						
क. हाथ में रोकड (अग्रदाय सहित)	62717	62717		9450	9450	0
ख. बचत खाते में बैंक बैलेंस	1854076209	1854076209	0	1501722493	1501722493	0
ग. जीपीएफ बचत खाते में बैंक बैलेंस	3917476	0	3917476	4320025	4320025	0
घ. एनपीएस बचत खाते में बैंक बैलेंस	737	0	737	708	708	0
कुल	**52377557667**	**52326260108**	**51297559**	**48645861964**	**48596150666**	**49711298**

ह0/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-

निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-

सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)		
वर्ष के शुरु में शेष	**26255450527**	**24539689739**
जोड़ें : शहरी विकास मंत्रालय से अंशदनन	600000000	550000000
जोड़ें : आय तथा व्यय लेखा (योजना) से अंतरित	839423025	1165760788
जोड़ें : आय तथा व्यय लेखा (गैर योजना) से अंतरित	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**27694873552**	**26255450527**

अनुसूची-2

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विशेष आरक्षित		
1.बांड रिडम्सन रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	4191267995	3111677300
वर्ष के दौरान जमा	1344527994	1079590695
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	**5535795989**	**4191267995**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

निर्धारित/एंडोमेंट निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान		
वर्ष के शुरु में शेष	10466280	9659524
जोडे :वर्ष के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	0	26421948
जोडे : हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुदान	4703720	0
हरियाणा सरकार द्वारा देया अनुदान	0	13500000
उप-योग	**15170000**	**49581472**
ख. आरआरटीएस अध्ययन हेतु किया गय शुल्क		
- परामर्शदाता को आरआरटीएस अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	6825870	36081472
- परामर्शदाता को देय शुल्के		3033720
उप-योग		39115192
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क - ख)	**8344130**	10466280

अनुसूची-4

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	5000000000	5000000000
योग	**5000000000**	**5000000000**

अनुसूची-5

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
असुरक्षित ऋण तथा उधार		
निजी स्थापन बांड		
क. रा. रा. क्षे. यो. बो. कर योग्य बांड 2018	2000000000	2000000000
ख. रा. रा. क्षे. यो. बो. कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	2651000000	2651000000
ग. रा. रा. क्षे. यो. बो. कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	1349000000	1349000000
घ. एशियन डवेलपमेंट बैंक (एडीबी)से ऋण	23392866693	979586150
ड. के.एफ.डब्लू (जर्मन बैंक) से ऋण	1311726163	1113059971
योग	**9651012856**	**8092646121**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	23851175	20416841
2. जीआईएस निधि	2325	3939
3. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	32740	32740
4. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से टीडीएस की कटौती	256867	398865
5. अति देय	205000	205000
उप योग	**24348107**	**21057385**
उधार पर ब्याज जमा परंतु देय नहीं		
1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड 2018	29031233	28619843
2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-I	39209379	39209379
3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरीज-II	18927394	18927394
4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरीज-I	288936986	288936986
5 ए.डी.बी. से ऋण पर ब्याज जमा	1509035	1632644
6 के.एफ.डब्लू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	1956830	3652956
उप योग	**379570857**	**380979202**
अन्य चालू देयताएं		
1 देय खर्चे	4951085	3928886
2 बयाना	496965	451965
3 राज्य सरकारों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां ।	542602	542602
उप योग	**5990652**	**4923453**
प्रावधान :		
1 कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति लाभों के लिए		
क. ग्रेच्युटी	11487467	12283648
ख. पेंशन (वर्तमान)	2443884	35334908
ग. पेंशन (सेवा निवृत्त)	95590576	21016851
घ. संचित छुट्टी नकदीकरण	13051682	13848322
उप योग	**122573609**	**82483729**

2 देय रा.रा.क्षे. प्रकोष्ठ व्यय		
क. 31.03.09 तक निवल प्रावधान	0	6662612
ख. 2009-10 के लिए प्रावधान	2008900	4347250
ग. 2010-11 के लिए प्रावधान	1044357	3709375
घ. 2011-12 के लिए प्रावधान	1056506	13098271
ड.2012-13 के लिए प्रावधान	1056506	28351252
च.2013-14 के लिए प्रावधान	27814024	0
उप योग	**35012247**	**56168760**
3 अन्य प्रावधान		
क. राष्ट्रीय संस्थानों को मूल्यांकन शुल्क	325907	325907
ख. एडीबी /केएफडब्ल्यू ऋणो पर वचनबद्धता प्रभार	6389129	1049171
ग. एडीबी ऋणों पर गारंटी शुल्क	35934166	47689200
घ. केएफडब्ल्यू ऋणो पर गारंटी शुल्क	68183280	81540000
ड. पीएमसी सेवाएँ - एडीबी	1665608	1832217
च. अवसंचना परियोजना हेतु अनुदान	175000000	35000000
उप योग	**287498090**	**167436495**
कुल योग	**854993562**	**713049024**

ह0/- ह0/- ह0/-

सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त) सदस्य सचिव

अनुसूची-7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2013-14 के लिए अचल संपत्तियां

(राशि रु0 में)

विवरण	सकल ब्लाक						मूल्य ह्रास				निवल ब्लाक	
अचल संपत्तियां	1.04.2013 के शुरु के अनुसार लागत/मूल्यांकन	180 दिन के पहले संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान ब्रिकी/कटौती	31.03.2014को समाप्त वर्ष में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के शुरु के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक कुल योग	वर्तमान वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.14 के अनुसार	विगत वर्ष की समाप्ति यानी 31.03.2013 के अनुसार
कार्यालय स्थान - आईएचसी	6305520.37	0.00	0.00	0	0.00	6305520.37	630552.04	0.00	0.00	630552.04	5674968.33	6305520.37
वाहन	1112869.80	0.00	201462.00	201462	45132	1269199.80	160160.67	15109.65	0.00	175270.32	1093929.48	1112869.80
फर्नीचर/फिक्सचर	474455.16	2250.00	183652.00	185902	0.00	660357.16	47509.34	10532.60	0.00	58041.94	602315.22	474455.16
कार्यालय उपकरण	696185.76	4320.00	102375.00	106695	0.00	802880.76	104427.88	8326.13	0.00	112754.01	690126.75	696185.76
कंप्यूटर/ पेरीफेरीयल्स	602114.46	243574.00	677638.00	921212	0.00	1523326.46	354368.68	349435.80	0.00	703804.48	819521.98	602114.46
विद्युत स्थापनाएं	3827.68	0.00	0.00	0	0.00	3827.68	382.78	0.00	0.00	382.78	3444.90	3827.68
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	4595.66	980.00	12136.00	13116	0.00	17711.66	3651.20	5629.60	0.00	9280.80	8430.86	4595.66
अन्य अचल परिसंपत्तियां	31083.76	11250.00	26800.00	38050	305.89	80077.87	4431.29	3697.50	0.00	8128.79	60699.08	31083.76
कुल योग	9230652.65	262374.00	1204063.00	1466437	45437.89	10651651.76	1305483.88	392731.28	0.00	1698215.16	8953436.60	9230652.65

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-8

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

निवेश-भविष्य निधि/एनपीएस		(राशि रु0 में)
क. भविष्य निधि निवेश	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1 सरकारी प्रतिभूतियां		
2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	3411385	3411385
3 शेयर	16000000	12000000
4 डिबेंचर्स और बांड	0	0
5 सब्सिडी और संयुक्त उद्यम	1000000	1000000
6 अन्य	0	0
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज		
सेविंग बैंक में जमा राशि	508129	1053944
उप-योग	3917476	4320025
ख. नई पेंशन स्कीम	**24836990**	**21785354**
सेविंग बैंक में जमा राशि		
उप-योग	737	708
ग. सेवानिवत्रति लाभ निधि	**737**	**708**
बैंक में सावधि जमा		
सेवानिवत्रति लाभ निवेश पर जमा	75572096	0
उपयोग	5246385	0
सकल योग	**80818481**	**0**
	105656208	**21786062**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-9

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

निवेश		(राशि रु0 में)
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश -एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में इक्वटी योगदान		
योग	50000000	0
	50000000	**0**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(राशि रु0 में)

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां		
1 रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टाक	**272585**	**265412**
2 लेखन सामग्री का स्टाक	**167684**	**195282**
3 विविध देनदार		
6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
उप-योग	**538630**	**559055**
4 हाथ में नगद शेष	**62717**	**9450**
5 बैंक बैलेस		
अनुसूचित बैंको के पास		
- बचत खाते	1854076209	1501722493
- बी.आर.आर. की एफ.डी.आर	5535795989	4191267995
- एफडीआर- अन्य	14384400000	10000000000
उप-योग	**21774272198**	**15692990488**
कुल (क)	**21774873545**	**15693558993**
ख. ऋण, अग्रिम और परिसंपत्तियां		
1 ऋण		
स्टाफ को अग्रिम	**245691**	**328811**
अन्य अग्रिम		
i यात्रा अग्रिम	57700	75000
ii एलटीसी अग्रिम	111000	0
iii पेट्रोल अग्रिम	4000	4200
iv विविध अग्रिम	11948	1100
उप-योग	**184648**	**80300**

ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियां	**25131121578**	27254197175
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क. पूर्व प्रदत्त व्यय	475234	287972
ख. वसूली योग्य अग्रिम आय कर, एफबीटी और टीडीएस (कर का निवल प्रावधान)	231524043	150313785
ग. आरआरटीएस के लिए प्राप्ति योग्य अनुदान	0	10466280
घ. सेमिनार अग्रिम	192513	34800
ड. अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा ममानत	26648	26648
उप- योग	**232218438**	**161129485**
3. अर्जित आय		
क एफडीआर पर जमा ब्याज पर देय नहीं	578598500	262962202
ख. ऋण पर प्राप्य ब्याज	857892754	853265379
ग. स्टाफ ऋण पर जमा ब्याज	1183194	1551500
घ. बचत खाते में जमा ब्याज	4092096	4789387
उप- योग	**1441766544**	**1122568468**
कुल (ख)	**26805536899**	**28538304239**
कुल (क + ख)	**48580410444**	**44231863232**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2014 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क अनुसूचित बैंकों के पास	1533612331	980858737
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. अन्य संस्थानों के पास	0	0
घ. अन्य	0	0
2. बचत खातों पर		
क अनुसूचित बैंकों के पास (ऑटो स्वैप एफडीआर समेत)	33400214	48769594
ख. गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग. डाकघर बचत खाते	0	0
घ. अन्य	0	0
3. ऋण पर		
क राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	2187220866	2312318253
ख. राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरुप ब्याज	421133	2956038
ग. कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	29044	46676
कुल	**3754683588**	**3344949298**

अनुसूची-12

(राशि रु0 में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क केएफडब्ल्यू से वापसी योग्य प्रबंधन शुल्क की विनिमय दरों में अंतर	0	-61730
ख एडीबी द्वारा ऋण की विनिमय दरों में अंतर	0	16829765
ग आयकर वापसी पर प्राप्त ब्याज	3080323	763329
घ पुराने खर्च वापस लिखे गए	0	202820
ङ अतिरिक्त मूल्य ह्रास वापस लिखा(2011-12)	0	70835
च अन्य आय	26625	0
छ एनसीआर सेल हेतु अव्याधिक प्रावधानों को वापस लिखा गया	7491955	0
कुल	**10598903**	**17805019**

ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ

ह0/-
निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)

ह0/-
सदस्य सचिव

अनुसूची-13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2014 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु0 में)

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क वेतन और मजदूरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	5611506	4404872
ख. अन्य - एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	474963	6165731
ग. एन सी आर प्रकोष्ठों पर व्यय हेतु प्रावधान	29845978	28351252
कुल	**35932447**	**38921855**

अनुसूची-14

(राशि रु0 में)

अन्य प्रशासनिक व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	4228	22206
ख. अध्ययन और सर्वेक्षण	2682200	3657068
ग. विज्ञापन और प्रचार	407845	0
घ. बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	913772	229981
ड. अंकेक्षण शुल्क -एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	18836	0
च. प्रिंटिंग	67666	0
छ संगोष्ठी और प्रशिक्षण	2260	64667
कुल	**4096807**	**3973922**

अनुसूची-15

(राशि रु0 में)

उधार पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. बांडों पर ब्याज	973671090	972436920
ख. लिस्टिंग शुल्क	221237	221237
ग. रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	37453	44453
घ. ट्रस्टीशिप फीस	67416	60000
ड. पीएमसी सेवाओं एडीबी पर व्यय	10203019	3469420
च. रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	2172293	2543393
छ. एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	112360	112360
ज. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	31251790	13211129
झ. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	8754490	5934140
ण. एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	330493142	28562003
ठ. यूरो/डालर में हुए लेनदेन पर सेवा कर /स्विफट प्रभार	7785	9221
कुल	**1356992075**	**1026604276**

ह0/-	ह0/-	ह0/-
सहायक निदेशक (वित्त)/डीडीओ	निदेशक (प्रशा0 एवं वित्त)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2014 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

अनसूची -16

पूर्ववर्ती व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. पी एमसी सेवाओं पर व्यय - एडीबी ऋण	1108924	0
2. प्रतिबद्धता प्रभार - के एफ डब्ल्यू ऋण	316197	0
3. के एफ डब्ल्यू ऋण पर ब्याज	89096	0
कुल	**1514217**	**0**

अनुसूची- 17

(राशि रु. में.)

भविष्य निधि /एनपीएस निधि/ सेवानिवृतिलाभ के निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	1219762	1752203
ख. सेवानिवृति निधि निवेश पर ब्याज	5246385	0
ग. भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	205229	200848
ध. एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	29	28
कुल	**6671405**	**1953079**

अनुसूची- 18

(राशि रु. में.)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	4200	5625
2. स्टाफ कार के उपयोग हेतु वसूली	8400	8400
3. वापस लिखे गए पुराने व्यय	0	14766
4. आर टी आई शुल्क	7731	16624
5. पहचान पत्र खोने पर	0	100
6. पुराने समाचार पत्र बेचने पर	3261	0
कुल	**23592**	**45515**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)/डी डी ओ

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2014 के समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) के भाग के रुप में अनुसूची

(राशि रु. में.)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
स्थापना व्यय		
वेतन (मूल तथा मंहगाई भत्ता	10899151	10009292
भत्ते और बोनस	16817533	12905786
एनपीएस में अंशदान	367112	248357
अन्य	-	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	326400	316531
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	1775350	1585287
भर्ती व्यय	550983	632025
संपदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	97237	0
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाओं	76215	69182
प्रावधान		
ग्रेच्यूटी का प्रावधान	(615837)	2221806
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	(522273)	(5010654)
पेशन (वर्तमान) का प्रावधान	(32891024)	7425405
पेंशन (सेवा निवृत) का प्रावधान	77022292	4294017
कुल	**73903139**	**34697034**

अनुसूची- 20

(राशि रु. में.)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
प्रशासनिक व्यय		
विद्युत और जल प्रभार	25120	350274
हाउस कीपिंग	1495800	1220157
मरम्मत और रखरखाव	691566	418812
किराया, दर और कर	1304813	1186041
वाहनो के चालन और रखरखाव पर	472892	463396
डाक, टेलीफोन और संचार प्रभाग	562070	547909
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	526732	394793
यात्रा तथा वाहन व्यय	761590	936145
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	216668	434050
कानूनी शुल्क पर व्यय	190677	212345
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	293205	423210
आतिथ्य खर्च	309253	224204
व्यावसायिक शुल्क	1120158	1862870
बैठकों पर व्यय	114677	0
अन्य	203823	94177
कुल	**8289044**	**8768383**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रुप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां।

1. **लेखा प्रणाली कन्वेन्शन**

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रुढ़ी और लेखा प्रणाली के प्रोदभवन अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोद्भवन तरीके के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में न अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रूपए तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:**

ग) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है । आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में पिछले वर्ष के आंकड़े जहां आवश्यक थे पुन: समूहित किए गए है। प्रत्येक योजना तथा गैर-योजना लेन-देन के लिए अलग प्राप्ति तथा भुगतान लेखा एवं आय एवं व्यय का विवरण तैयार किया गया है।

2. **आय मान्यता:**

सभी आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी गई है ।

3. **व्यय की मान्यता:**

क) एल टी सी, मेडिकल क्लेम तथा टयूशन फीस प्रतिपूर्ति के भुगतान जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, को छोड़कर सभी व्ययों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

ख) सभी पूर्व अवधि व्यय तथा पूर्वदात व्यय जिनको इस वर्ष के खर्चों में मिला दिया गया था उन्हें भी अलग कर पृथक शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. **अचल परिसम्पत्ति:**

क) अचल परिसंम्पत्तियां मूल्यह्रास का प्रभार घटाने के पश्चात ह्रासित मूल्य पर बताई गई है।

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

5. अचल परिसम्पत्तियां मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू डी वी तरीके से प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है।

6. **सेवा निवृति लाभ:**

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एन सी आर पी बी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार, वर्ष के लिए बोर्ड के आय और व्यय लेखों (गैर योजना) तथा तुलन पत्र में किए गए है। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार कि जा रहे है और तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय लेखा (गैर योजना) में अंतरित की जाती है।

ख) बोर्ड समान्य भाविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनाभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई है और बोर्ड के भाविष्य निधि खाते में अंतरित की गई है।

ग) **नई पेंशन योजना:**

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एन पी एस) शुरू की है। इसके तहत, कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तद्नुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, ने अपने दिनांक 17.8.2009 का. ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एन पी एस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्यिुरिटी डिपॉजटरी लिमि. सेटक रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि. मे आवश्यक पंजीकरण कराया गया है। नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि. द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एन पी एस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एन पी एस निधियां नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि. को अंतिरत की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि. को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एन पी एस निधि का रख-रखाव अब नेशनल सिक्यूरिटी डिपाजिटरी लिमि. द्वारा किया जा रहा है।

घ) **समूह बीमा देनदारियां**

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी के साथ समूह बीमा योजना नामक एक नई पॉलिसी शुरू की है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एल आई सी को 6,91,873/- रूपये अंतिरत किए। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियॉ कर रहा है और उसे प्रतिमाह एल आई सी को भेज रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एल आई सी को ब्याज सहित बचत लाभों तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है।

7. इन्वेंटरी

क) एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशन

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में नि:शुल्क वितरित की गई एन सी आर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती है। और बेची गई पुस्तकों से प्राप्त राशि को वित्तीय तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉफ का लागत-मूल्य के रुप के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) एन सी आर पुस्तके और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रुप में दर्शाया जाता है। बची हुई स्टेशनरी का मूल्यांकन कर उसे तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययनऔर सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययनों व्ययों को छोड़कर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते है।

9. निर्धारित/एंडामेंट निधि

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 9.3.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव आर आर टी एस के तीन कारीडोर के डी पी आर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांस्पोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा - का अनुमोदन किया है।
शहरी विकास मंत्रालय से आर आर टी एस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रुप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एन सी आर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एन सी आर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एन सी आर प्रकोष्ट/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एन सी आर पी बी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते है, इसलिए एन सी आर प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है।

11. आयकर:-

क) उपयुक्त आयकर प्रधिकरण अर्थात वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा एन सी आर पी बोर्ड को आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी) के उप खण्ड (IV) के अतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए 2013-14 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नही दिया गया है।

12. बांड रिडम्शन रिजर्व (बी आर आर) का सृजन

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि के लिए 200 करोड़ रू. के करयोग्य बांडस प्राइवेट पेलेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार से जुटाए। सांविधानिक आवश्यकतानुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तिय रुप से मूल्यांकन क्रिसिल तथा फिच रेटिंग एजेन्सी से कराया गया। रेटिंग एजेन्सी ने उल्लेख किया कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्पशन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि परिपक्वता पर बांड रिडम्पशन राशि में बराबर का रिर्जव रहे। इसके अलावा, बोर्ड ने बांड ईशू के जरिए 900 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जुटाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बांड संबंधी अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक में बोर्ड ने बॉंड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया और आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित कर आंतरिक जमा से इस बी आर आर में राशि अंतरित की जा रही हे। ये बी. आर आर निधि पब्लिक सेक्टर बैकों में बेहतर रिटर्न के लिए सावधि जमा किया जा रहा है।

13. एन सी आर पी बोर्ड मे 2010-11 में प्राईवेट प्लेसमेंट के जरिए (कर योग्यएन सी आर पी बोर्ड बॉंड सिरीज-1(2020) से 500 करोड़ रु. जुटाए। सेबी के दिनांक 11 मई, 2009 के परिपत्र सं. एसईबीआई /आईएमडी/बॉंड/1/2009/11/2005 दिनाक 11 मई 2009 के अनुसरण में यह बांड ईशू के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी खाता ऋणों पर श्रृवात्मक लियन के द्वारा सुरक्षित है।

14. एन. सी. आर. प्लानिंग बोर्ड ने अपनी दिनांक 22.3.2012 को संपन्न 32वीं बैठक में अनुमोदित किया था कि रा. रा. क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रो संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रुप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा एस डब्ल्यू एम सेक्टर की सभी परियोजनाएं पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 1.4.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (जो कि 4.8.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें दिनांक 1.4.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं की गई हैं। अनुदान राशि पाने के योग्य है। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रुप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा।

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2014 को तुलन पत्र के भाग के रुप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा आकस्मिक देनदारियो की स्थिति:-

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा प्रबंधन पत्र संख्या डीडी-II/A/c/NCRPB/10-3/2012-13/18 दिनांक 14.10.2013 मे की गई समुक्तियों के अनुपालन में, लेखों पर टिप्पणियां अलग से दिखाई गई है।

1. **पूर्व-अवधि व्यय -**

प्रधान निदेशक, लेखा परिक्षा द्वारा अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या डीडी.-II/Annual A/c NCRPB 10-3/2012-13/489 दिनांकित 10.10.2013 मे की गई समुक्तियों के आधार पर पूर्व अवधि व्यय को अलग से आय-व्यय लेखा मे दिखाया गया है।

2. **एन.सी.आर नियोजन एवं निगरानी सैल -**

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एन सी आर सेल पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एन सी आर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एन सी आर पी बी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रुप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते है, इसलिए एन सी आर सेलो से प्राप्त विगत वर्षो के दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किए गए है। 31.3.2014 तक देय एन सी आर सेल संबंधी व्यय के लिए रु. 3,50,12,247/- का प्रावधान 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे के साथ संलग्न तुलन पत्र की अनुसूची-6 मे दर्शाया गया है।

ख) वर्ष 2013-14 में लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

i) हरियाणा सैलः- हरियाणा सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः रु.74,94,033 तथा रु. 83,41,490 (कुल रु.158,35,523/-) का प्रावधान किया गया था परन्तु इसकी तुलना में बर्ष 2011-12 मे रु. 74,94,033 तथा वर्ष 2012-13 में रु.72,24,432 (कुल रु.1,47,18,465) का वास्तविक भुगतान वर्ष 2013-14 में किया गया। वित्त वर्ष 2012-13 की बकाया राशि रु. 11,17,058 को आय एवं व्यय (योजना) के वापस लिख लिया गया है।

ii) उत्तर प्रदेश सैलः- उत्तर प्रदेश सेल की देय व्यय के लिए वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक के लिए रु. 3,75,38,255 का प्रावधान किया गया परन्तु इसके विपरीत, वर्ष 2012-13 के दौरान सेल को प्रतिपूर्ती हेतु रु.2,13,18,200 की रकम पास की गई है तथा रु.1,11,09,225 की बकाया राशि का भुगतान वर्ष 2013-14 मे किया गया है (कुल वास्तविक भुगतान रु. 3,24,27,425 किया गया)

उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2012-13 में रु.1,32,42,426 का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध वित्त वर्ष 2013-14 में रु.1,19,72,016 का वास्तविक भुगतान किया गया। वर्ष 2012-13 की अतिरिक्त राशि रु.12,70,410 तथा वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक की अतिरिक्त राशि रु.51,10,830 (कुल राशि रु.63,81,240) को वर्तमान वर्ष की आय एवं व्यय (योजना) में वापस लिख दिया गया है।

iii) राजस्थान सैल :- राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2012-13 मे रु. 57,10,830 का प्रावधान किया गया परन्तु इसके विरुद्ध, वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 में रु.61,85,793 की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। अतः रु.4,74,963 की अतिरिक्त राशि जिसका भुगतान उ. प्र. सैल को दिनांक 31.3.2013 को किया गया को वर्ष 2013-14 के लेखों के माध्यम से पारित किया गया।

iv) दिल्ली सैल:- दिल्ली सेल को देय व्यय हेतु वर्तमान वर्ष 2013-14 मे कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कोई मांग प्राप्त नही हुई है। तथा दिनांक 31.3.2013 के लिए बनाया गया रु. 51,66,269 का एक प्रावधान अभी उपलब्ध है।

ग) एन सी आर से व्यय के रुप में निम्न प्रकार से वर्तमान वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रु. 2,98,45,978 प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एव व्यय (योजना) खाते मे प्रभारित किया गया है।

राजस्थान	- रु. 61,85,793
उत्तर प्रदेश	- रु.1,43,80,371
हरियाणा	- रु. 92,79,814
दिल्ली	- शून्य
कुल	- रु.2,98,45,978

दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष हेतु एन सी आर सेलों को देय व्य का कुल प्रावधान र. 3.50 करोड़ है जो कि बोर्ड के वार्षिक लेखो की अनुसूची - 6 के अनुसार है।

3. निर्धारित/एंडोमेंट निधि

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 9.3.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव आर आर टी एस के तीन कारीडोर के डी पी आर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा - का अनुमोदन किया है।

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के रुप मे निर्धारित/एडोमेंट निधि खाते में रु.1,04,66,280 थे।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, हरियाणा सरकार से रु.1,51,70,000 की रकम प्राप्त की गई (जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की रु.1.04 करोड़ की अनुदान राशि शामिल है) इसके विरुद्ध रु. 68,25,870 का वास्तविक पुर्नर्भरण किया गया (जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष का देय पुर्नर्भरण रु.30,33,720 शामिल है) दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार निर्धारित/ऐड़ोमेट निधि मे रु.83,44,130 का निबल बकाया शेष है (अनुसूची-3 मे दर्शाया गया है)

4. आयकर

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 सी) (iv) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान मे रखते हुए वर्ष 2013-14 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का प्रावधान नही दिया गया है। परन्तु वर्ष 2013-14 के लिए 'स्रोत पर टैक्स कटौती नहीं' सबंधी अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उधारकर्ता एजेंसियों /बैंकों ने वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड को किए गए व्याज भुगतान पर रु.11,25,78,505 का टीडीएस काटा। तद्नुसार, वर्ष 2013-14 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखो के साथ संलग्न अनुसूची 6 मे शीर्ष "अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशि" के तहत वर्ष 2013-14 के लिए स्रोत पर कर कटौती को स्रोत पर कर योग्य कटौती के रुप में दर्शाया गया है। इसके लिए दावा निर्धार्ण वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से किया जाएगा।

जैसा कि कर निर्धारण वर्ष 2003-04 से बोर्ड की आय पर दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर अधिनियम 1961 की धारा के खंड (23 सी) iv के तहत छूट प्राप्त है। इसे ध्यान मे रखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में वित्त वर्ष 2007-08 से 2012-13 तक के लिए आयकर का कोई प्रावधाननही रखा गया है। वित्त वर्ष 2007-08 से 2012-13 से संबंधित अग्रिम आय कर वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की रु. 15, 03,13,785 की राशि 31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड के तुलन पत्र मे दर्शाई गई । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित रु.3,13,68,247 (रु.30,80,323 की ब्याज राशि समेत) की वापसी हुई है। पूर्व उधारकर्ता एजेंसियो/बैंकों ने वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर रु.11,25,78,505 का टीडीएस काटा। तदनुसार 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग से रु.23,15,24,043 वसूल किए जाने है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियो से उधार

क) एशियन डेवलपमेटबैंक: पहली किश्त की राशि 78 मिलियन अमेरिकी डालर मे से 18 मिलियन अमेरिकी डालर रद्द कर दी गई है। तद्नुसार, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एडीबी को देय ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार हेतु रु.18.97 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात, वर्ष 2012-13 हेतु कोई नया प्रावधान नही किया गया क्योंकि वर्ष 2011-12 मे गारंटी फीस का भुगतान नही किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड ने रु. 97-95 करोड़ के पूर्व बकाया ऋण के साथ शाथ 20.76 मिलियन अमेरिकी डालर का नया ऋण भी लिया है। दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, इस पूर्व बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर पर हुई हानि को (रु.13,18,26,950) बाजार उधारी पर व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा आय एवं व्यय (योजना) मे प्रभारित किया गया है।

ख) के एफ डब्ल्यू (जर्मन बहुपक्षीय एजेंसी): वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के एफ डब्ल्यू को देय प्रतिबद्धता प्रभार हेतु रु.19.57 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के लिए नया प्रावधान नही किया गया है चूंकि वर्ष 2011-12 में गारंटी फीस का भुगतान नही किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड ने कोई ऋण राशि नही निकाली है तथा के एफ डब्ल्यू से ऋण की एक बकाया रकम है यूरो 15771664.27 (रु. 111.31 करोड़ की) । विनिमय दरों में अंतर के कारण रु.19.87 करोड़ की हानि को बाजार उधारी पर व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है तथा आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया है।

6. अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान

दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान का कुल बकाया प्रावधान रु.3.50 करोड़ था जैसा कि वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे में दिखाया गया है। चूंकि कोी परियोजना इस अनुदान के लायक नहीं थी इसलिए वर्ष 2013-14 में कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के लेखों

में सम-अनुपात आधार पर रु. 14 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। भविष्य में आने वाली ऐसी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह राशि आय तथा व्यय (योजना) खाते में प्रभारित की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान, अनुदान हेतु व्यय/प्रावधान अन्य प्रशासनिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए थे, परन्तु इस वर्ष इन व्ययों/प्रावधानों को व्यवस्थित कर आय एवं व्यय (योजना) खाते में अलग से अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान पर व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है।

7. विशेष रिजर्व/बांड रिडंपशन रिजर्व (बी आर आर)

वर्ष 2013-14 के दौरान, रु. 134.45 करोड़ [जिसमें रु.21.89 करोड़ की ब्याज पुनर्निवेश भी शामिल है] की राशि बी आर आर में अंतरित की गई है तथा आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित की गई है। वर् 2013-14 के बोर्ड के वार्षिक लेखे की सूची-2 के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को कुल बी आर आर रु.553.58 करोड़ है।

8. स्थापना व्यय (योजना) वेतन

अनुसूची 13 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए रु. 56,11,506 बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन है। ये 5 पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाना है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद शहरी विकास मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित की गई है। जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक प्रोदभवन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (योजना) में अलग से दर्शाया जा रहा है।

9. निवेश: एन सी आर परिवहन निगम मे इक्विटी योगदान

एनसीआरटीसी के गठन के लिए कैबिनेट नोट दिनांक 11.7.2013 को अनुमोदित किया गया था। ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख दिनांक 1.8.2013 को हस्ताक्षरित किए गए थे तथा एनसीआरटीसी का गठन 21.8.2013 को हुआ। इसके अतिरिक्त बोर्ड की 34वीं बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि आरआरटीएस संरेखण सहित कार्यान्वयन के सभी मुद्दों को एनसीआरटीसी द्वारा संबंधित किया जाएगा। एनसीआरटीसी, रु.100 करोड़ के प्रारंम्भिक कोष के साथ आरआरटीएस कारिडोर की डिडाइन वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए होलडिंग कंपनी है इस प्रारंम्भिक कोष को निम्नलिखित तरीके से बांटा जाना है:-

संख्या	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा(%)	रकम (रु.करोड़ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	5%	5.00
	कुल	100%	100.00

वर्ष 2013-14 के दौरान एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआरटीसी के लिए अपना रु. 5 करोड़ का योगदान दे दिया है तथा एनसीआरटीसी द्वारा शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

10. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की सूची 10 में दर्शाए अनुसार 31.3.2014 की स्थति के अनुसार राज्य सरकार/ कार्यन्वयन एजेंसी को ऋणों/ अग्रिमों के रुप में रु.25,13,11,21,578 का बकाया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की संबंधित उधारकर्ता एजेंसियो से बकाया की पुष्टि के अध्यधीन है।

11. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट मे चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टी करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक हो, पुनव्यवस्थित किए गए है।

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव